न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 42 / 2014
RCMS Case No. 2014/00068

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 उगीया कंवर पुत्री मनरूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बांता हाल खिंवाड़ा तहसील देसूरी		1 भंवरसिंह 2 किशोरसिंह 3 किरणसिंह पि0 मनरूपजी जाति राजपुरोहित निवासी बांता 4 तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन 5 सन्तोषकंवर पत्नी अर्जुनसिंह पुत्री मनरूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बी–504, आकाश टॉवर, श्रीप्रस्थ कॉम्पलेक्स, नल्लासोपारा (वेस्ट) मुम्बई 401203 6 दरियावकंवर पत्नी भैरूसिंह पुत्री मनरूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी ठाकुरजी का गुड़ा, बेरा कुन्डाल वाया सोमेसर तहसील देसूरी जिला पाली 7 सुखीयाकंवर पत्नी चत्रभुजी पुत्री मनरूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी 389, साई दर्शन सोसायटी, वरेली पाटीया, हरिपुरा रोड़, कड़ोदरा सुरत (गुजरात) 8 कुसुम कंवर पत्नी पर्बतसिंह पुत्री शांताकंवर दोहित्री मनरूपसिंह जाति राजपुरोहित निवासी 217, आर टी स्ट्रीट, मैनरोड़, बैंगलोर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री धर्मन्द्र व्यास, विद्वान अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
3. सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 4 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 31/12/2018

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तत कर ग्राम बांता तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 1122 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.06.2000 को अपास्त कराने

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील वादस्थ भूमि अपीलाण्ट की पुश्तैनी भूमि है, जो मनरूपसिंह के नाम से बतौर खातेदारी दर्ज थी। मनरूपसिंह एवं उनकी पत्नी उमरावकंवर उर्फ असरतोकंवर उर्फ असरतो कंवर फौत हो चुके है। उनके फौत होने पर जो फौतेदगी नामान्तरकरण दायर किया गया, उसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का ही नाम दर्ज किया गया है, जबकि उक्त आराजी में अपीलाण्ट का भी बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है, उसमें उमरावकंवर उर्फ असरतों कंवर के समस्त विधिक वारिशान का नाम दर्ज करना था, जो नहीं किया जाकर मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का ही नाम दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 क तहत जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो नामान्तरकरण दायर कर स्वीकृत किया गया है, वह विधि सम्मत नहीं होने से खारिज़ योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं ग्राम बांता के नामान्तरकरण संख्या 1122 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.06.2000 को अपास्त करावें एवं मृतक उमराव कंवर उर्फ असरतों कंवर के विधिक वारिशान की जांच कर पुनः नामान्तरकरण दायर करवाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 में वर्ष 2005 में हुए संशोधन के अनुरूप जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है, क्योंकि जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स के पिता मनरूप पुत्र गुल जी जाति पुरोहित की पुश्तैनी खातेदारी भूमि थी, जिसका मनरूप जी द्वारा अपने जीवनकाल में विभाजन किया जा चुका था तथा उक्त विभाजन उप पंजीयक खारची द्वारा पंजीबद्ध है। इस बंटवाडा अनुसार जैर अपील विवादित आराजी में से 1/3 हिस्से की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को प्रदान की गई तथा 1/3 हिस्से की भूमि किशोरसिंह गोदीपुत्र प्रेमसिंह के हिस्से में एवं शेष 1/3 हिस्से की भूमि स्वयं मनरूप जी के हिस्से में रही। अपीलाण्ट द्वारा पुश्तैनी सम्पति में पुत्रियों का हिस्सा होना बताते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत जैर अपील विवादित आराजी में स्वयं का हिस्सा होना जाहिर करते हुए जैर अपील नामान्तरकरण को अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि उक्त भूमि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की धारा 6 में हुए संशोधन से पूर्व ही विभाजित हो चुकी थी, इस कारण अपीलाण्ट के तथाकथित हक हकूक जैर अपील नामान्तरकरण को प्रभावित नहीं करते है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। जैर अपील नामान्तरकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 1122 खातेदार उमराव कंवर पत्नी मनरूप के फौत होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम दायर किया गया हैं। जिसे तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये स्वीकृत किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को उमराव कंवर की पुत्री होना बताते हुए जैर अपील विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में स्वयं का नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जैर अपील विवादित आराजी का वर्ष 2005 से पूर्व ही विभाजन होना

अति० जिला कलक्टर, पाली

बताते हुए जैर अपील नामान्तरकरण को उचित ठहराया है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि अपनी पुश्तैनी होना बताया है, जबकि इस तथ्य के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। हालांकि नामान्तरकरण के जरिये हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते, किन्तु अपीलाण्ट द्वारा अपनी माता के फौत होने पर दायर फौतेदगी नामान्तरकरण को चुनौती दी गई है एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा भी अपीलाण्ट को उमराव कंवर की पुत्री होने से इन्कार नहीं किया है, इस अनुरूप तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 व 15 के तहत अपीलाण्ट का नाम दर्ज होना विधि सम्मत है। चूंकि जैर अपील नामान्तरकरण उमराव कंवर के फौत होने पर उसके वारिशान के नाम दायर किया गया है तथा अपीलाण्ट को उमराव कंवर के वारिश होने से इन्कार नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उमराव कंवर के वारिशान की जांच किए बिना ही जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो समर्थन योग्य नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम बांता तहसील मारवाड़ जंक्शन के नामान्तरकरण संख्या 1122 पर तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 13.06.2000 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे मृतक उमराव कंवर के विधिक वारिशान की जांच कर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति० जिला कलक्टर, पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 31/12/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली